प्राथमिकता/समयबद्ध

उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
संख्या :- 8 /चौवालिस-2-1994
लखनऊ : दिनांक 01 जून, 1994
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उदारता पूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपक्रमों/निगमों आदि की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि वे प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायता करने के साथ-साथ राज्य के सीमित वित्तीय संसाधन को देखते हुए संस्थागत वित्त का अधिकाधिक उपयोग करके प्रदेश के नियोजित विकास हेतु संसाधनों के अतिरिक्त श्रोत का सृजन करे। इस संदर्भ में यद्यपि कुछ सार्वजनिक उद्योगों का योगदान सकारात्मक रहा है तथापि अधिसंख्य उपक्रम/निगम न तो संस्थागत वित्त का ही समुचित उपयोग करने में संयत रहे हैं और न ही शासन की पूंजी पर कोई लाभांश दे रहे हैं। कई निगम/उपक्रम घाटे के कारण पूर्णतः राज्य सहायता पर निर्भर रहने लगे हैं। फलस्वरूप सीमित शासकीय संसाधनों का एक भाग, जिले विकास कार्यों में लगाया जा सकता था, इन उपक्रमों/निगमों पर व्यय हो रहा है। अतः वर्तमान आर्थिक परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि सार्वजनिक उद्यमों द्वारा शासकीय वित्तीय सहायता का उपयोग व्यवसायिक अनुशासन से किया जाय तथा वर्तमान में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उनके कार्यकलापों में समुचित सुधार लाया जाय।

2- इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्य दक्षता सुनिश्चित करने, उन्हें सरकारी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं जहां आवश्यक हो वहां उनका निजीकरण करने आदि के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित नीति निर्धारित की गई है :-

(क) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

(1) सामाजिक उपादेयता वाले सार्वजनिक उद्यमों को छोड़कर अन्य में 1994-95 के आय-व्ययक में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी जाय तथा 1995-96 में इसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये।
(2) सार्वजनिक उद्यमों हेतु आय-व्ययक में प्राविधान न होने पर राज्य आकस्मिकता निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। इस प्रथा को समाप्त किया जाये। यदि किसी असाधारण स्थिति में इन नीति निर्देशों से विचलन किया जाना अनिवार्य हो तो मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त करके तद्नुसार कार्यवाही की जाय।
(3) नये उद्यमों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये।
(4) रूग्ण उद्यमों को शासकीय वित्तीय सहायता स्वीकृत पुनर्वास योजना के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जाये।

(5) यथा–संभव शासकीय गारन्टी नहीं दी जाये। यदि अपरिहार्य हो तो यह गारन्टी निश्चित अवधि एवं धनराशि हेतु ही दी जाये।

प्रशासनिक विभाग द्वारा संलग्न प्रारूप–2 में सार्वजनिक उद्यम विभाग को सूचना प्रेषित की जायेगी

(ख) दक्षता सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु निम्न निर्देश दिये गये हैं जिनकी प्रगति की सूचना संलग्न प्रारूप 3–6 में प्रेषित की जायेगी :–

(1) प्रत्येक निगम द्वारा आगामी वर्षों के लिए कारपोरेट प्लान बनाया जाये जिसमें भविष्य हेतु नियोजित विकास की रणनीति स्पष्ट की जाये (प्रारूप–3)

(2) उद्यमों द्वारा अतिरिक्त कार्मिकों का अभिज्ञान करके नियोजित ढंग से उनको कम किया जाये और स्ववित्त–पोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की जाये (प्रारूप–3)

(3) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगम प्रबन्ध एवं प्रशासकीय विभागों की सहमति से प्रत्येक उद्यम हेतु लम्बित वार्षिक लेखों को पूर्ण करने के लिए एक समय सारिणी तैयार की गयी है। चार वर्ष अथवा अधिक समय से लम्बित वार्षिक लेखों वाले 29 उद्यमों के लिए निर्धारित समय सारिणी के विरूद्ध दिनांक 31–3–94 तक की प्रगति की स्थिति संलग्नक–1 में दृष्टव्य है। (प्रारूप–3) इस तिथि के उपरान्त इस दिशा में हुई प्रगति की सूचना दिनांक 30 जून, 1994 तक अवश्य उपलब्ध कराये।

(4) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित कराये कि उन वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवाओं को समाप्त किया जाये जिनका योगदान उद्यमों की निश्चित लागत (पिक्स्ड ब्लस्ट) की पूर्ति हेतु नगण्य अथवा ऋणात्मक हो।

(5) प्रशासनिक विभाग तुरन्त निगमों के वरिष्ठ प्रबन्धकों के साथ समीक्षोपरान्त रहतियो/देनदारियों के स्तर को निर्धारित व्यवसायिक मानकों के अनुरूप लाने की कार्यवाही करे। इससे जो धनराशि अवमुक्त होगी उसे 1994–95 तथा 1995–96 में शासकीय आय–व्ययक सहायता को कम/समाप्त करने के फलस्वरूप उद्यमों के उपयोग में लाया जा सकता है। (प्रारूप–4)

(6) व्यवसाय एवं विनियोजन के दृष्टिकोण से अनेक उद्यमों, निदेशालयों एवं विभागों के कार्यों में दोहरेपन के कारण अतिरिक्त क्षमता सृजित है। अतः इनमें पुनर्गठन एवं पुर्न–संरचना की आवश्यकता है। (प्रारूप–5) प्रशासनिक विभाग इस आवश्यकता का अभिज्ञान कर पुनर्संरचना प्रस्ताव तुरन्त तैयार करायें।

(7) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करे कि उनके अधीनस्थ उद्यम अपनी अतिरिक्त एवं अप्रयुक्त चल व अचल परिसम्पत्ति का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करने के पश्चात सक्षम आदेशोपरान्त उनको निस्तारित करें। इस विक्रय से प्राप्त धनराशि द्वारा राज्य स्तर पर एक कोष का सृजन किया जाये जिससे स्वीकृत पुनर्वास योजनाओं तथा पुनर्संरचना प्रस्तावों के अन्तर्गत पूंजी आवश्यकताओं को वहन किया जाये। (प्रारूप–6)

(8) यह आवश्यक है कि राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष तो हो ही। उद्यम में केवल एक ही मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति की जाये। जिन उद्यमों में कई सहायक कम्पनियां हैं और उनमें स्वतंत्र रूप से प्रबन्ध निदेशक नियुक्त हैं, केवल उनमें ही पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार किया जाये। साथ ही, जहां तक सम्भव हो, इन पदों के लिए बाहर से विशेषज्ञों को भी आकर्षित करने के प्रयास किये जायें।

(ग) निजीकरण

सामाजिक उपादेयता और जन कल्याण का कार्य करने वाले उपक्रमों को छोड़कर निजीकरण हेतु उन सभी उद्यमों की समीक्षा की जाय जिनका वार्षिक घाटा 10 करोड़ से अधिक है तथा जिनका निबल मूल्य आधा या आधे से ज्यादा समाप्त हो चुका है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा उच्चादेश प्राप्त किये जाये तथा वह कृत कार्यवाही से सार्वजनिक उद्यम विभाग को संलग्न प्रारूप–1 में सूचना प्रेषित करायें।

3– सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्धारित नीति के अनुसार प्राथमिकता पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें एवं एक माह बाद संलग्न प्रपत्रों पर इस दिशा में कृत कार्यवाही की प्रगति/वस्तुस्थिति से अवगत करायें।
संलग्नक– 6 प्रपत्र एवं संलग्नक–1

भवदीय,
[विश्वनाथ आनन्द]
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों
से सम्बन्धित शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

निजीकरण की प्रगति — प्रारूप–1

(1) प्रशासनिक विभाग का नाम :–
(2) उद्यमों के नाम जिनमें निजीकरण प्रस्तावित है :–
(3) प्रास्थिति/प्रगति :–
सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में भी सूचना अपेक्षित है।

प्रारूप–2

वित्तीय सूचना

प्रशासनिक विभाग का नाम :–

(लाख रू० में)

क्रम सं०	निगम का नाम	92	93	93	94	94-95 का	शासकीय गारन्टी	
		प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	प्राविधान	धनराशि	अवधि

प्रारूप–3

कारपोरेट प्लान आदि की सूचना

विभाग का नाम :–

दिनांक 31-5-94 की स्थिति

क्रम सं०	निगम का नाम	कारपोरेट प्लान बना है अथवा नहीं/यदि नहीं तो कब तक बनेगा और यदि बना है, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाय	कार्यरत कार्मिकों की पूर्ण संख्या	अतिरिक्त कार्मिकों की संख्या	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू है अथवा नहीं, यदि हां तो इच्छुक कर्मचारियों की संख्या तथा तद्हेतु अपेक्षित धनराशि की आवश्यकता	लम्बित वार्षिक लेखों की दिनांक 30-6-94 तक की प्रगति की स्थिति

प्रारूप–4

रहतियों/देनदारियों की स्थिति

प्रशासनिक विभाग का नाम :–

(लाख रु० में)

क्रम सं०	निगम का नाम	रहतियां		देनदारियां		आयु विश्लेषण					
		93-94 का स्तर	94-95 में प्रस्तावित कटौती	93-94 का स्तर	94-95 में प्रस्तावित कमी	रहतियां			देनदारियां		
						6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक

कार्य क्षेत्र सम्बन्धी सूचना

प्रारूप–5

प्रशासनिक विभाग का नाम :–

क्र० स०	निगम का नाम	निगम द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्य	यह कार्य किन अन्य संगठनों द्वारा किये जा रहे है	विभिन्न संगठनों के उक्त कार्य किये जाने से दोहरेपन की स्थिति	दोहरेपन के कारण संविलियन पुर्नसंरचना की आवश्यकता

प्रारूप–6

प्रशासनिक विभाग का नाम :–

अप्रयुक्त सम्पत्ति का विवरण

(लाख रु० में)

क्र०सं०	निगम का नाम	अतिरिक्त /अप्रयुक्त सम्पत्ति का विवरण	पुस्तकीय मूल्य	बाजार मूल्य

वार्षिक लेखों के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्धारित समय–सारणी के सापेक्ष प्रगति विवरण

संलग्नक–I

निगम का नाम	दिसम्बर 93 तक पूर्ण लेखे	बैठक में लेखे पूर्ण करने का निर्धारित लक्ष्य			मार्च 94 तक कुल लेखे पूर्ण करने का लक्ष्य	मार्च 94 त्रैमास में बनाये गये लेखों की संख्या	लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक स्थिति %
		मार्च, 94 तक	जून, 94 तक	सित० 94 तक			
1	2	3	4	5	6	7	8
दिनांक 16 फरवरी, 1994 की बैठक							
1-आगरा मण्डल विकास निगम	86-87	87-88	–	–	1	–	(-)100%
2-बरेली मण्डल विकास निगम लि०	83-84	85-86	–	–	2	–	(-)100%
3-लखनऊ मण्डल विकास निगम लि०	81-82	83-84	86-87	89-90	2	–	(-)100%
4-गोरखपुर मण्डल विकास निगम लि०	84-85	85-86+	–	–	1	–	(-)100%
5-इलाहाबाद विकास निगम	83-84	84-85	–	89-90+	1	–	(-)100%
6-मेरठ मण्डल विकास निगम	87-88	89-90	92-93	–	2	1	50%

+ प्राथमिकता के आधार पर

1	2	3	4	5	6	7	8
7-मुरादाबाद मण्डल विकास निगम	85-86	86-87	-	92-93+	1	-	(-)100%
8-वाराणसी मण्डल विकास निगम	86-87	-	-	92-93+	-	-	-
9-फैजाबाद मण्डल विकास निगम	86-87	-	-	-	-	-	-
10-बुन्देलखण्ड विकास निगम लि०	83-84	-	-	-	-	1	-
दिनांक 17-2-94 की बैठक							
11-उ० प्र० लघु उद्योग निगम लि०	88-89	92-93	-	-	4	-	(-)100%
12-उ० प्र० हथ करघा निगम लि०	83-84	84-85	-	-	1	-	(-)100%
13-उ० प्र० लघु जल विद्युत निगम	88-89	91-92	-	-	3	1	33%
14-उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन	88-89	90-91	-	-	2	1	50%
15-उ० प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम	86-87	88-89	92-93	-	2	1	50%
16-राजकीय निर्माण निगम लि०	88-89	-	91-92	-	1	1	100%
17-उ० प्र० वक्फ विकास निगम लि०	88-89	-	91-92	-	-	-	-
18-यू० पी० एग्रो	88-89	89-90	91-92	-	1	1	100%
दिनांक 18-2-94 की बैठक							
19-उ० प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०	88-89	91-92	-	-	3	1	33.3%
20-तराई अनुसूचित जनजाति वि० नि०	82-83	84-85	88-89	-	2	-	(-)100%
21-उपाय	82-83	-	-	-	-	-	-
22-उ० प्र० अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम लि०	88-89	-	-	93-94	-	-	-
23-कुमाऊं मण्डल विकास निगम	88-89	89-90	-	92-93	1	1	(-)100%
24-गढ़वाल मण्डल विकास निगम	87-88	-	-	92-93	-	1	-
दि० 19-2-94 की बैठक							
25-उ० प्र० खाद्य एवं आवश्यक वस्तुनिगम लि०	83-84	-	-	-	-	-	-
26-यू० पी० हार्टिको	84-85	-	-	-	-	-	-
27-उ० प्र० पंचायती राज निगम लि०	87-88	88-89	92-93	-	1	1	(-)100%
28-उ० प्र० मत्स्य विकास निगम	87-88	88-89	92-933	-	1	-	-
29-उ० प्र० पशुधन उद्योग निगम	87-88	91-92	-	-	4	-	(-)100%

+ प्राथमिकता के आधार पर